राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

<u>अपील संख्या: - 1533/2018</u>

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
राम कुवार यादव चक मनोहरपुर] तहसील आमेर] जयपुर , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 05-04-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री योगेश कुमार शर्मा, एबीईईओ प्राथमिक शिक्षा जयपुर उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 14-07-2017 के द्वारा पंचायत सहायक चयन प्रक्रिया वर्ष 2017 राजकीय सी. सै. स्कूल लखेर के बाबत 4 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने बताया कि अपीलार्थी को कार्यालय में रिकार्ड अवलोकन के लिए बुलाया गया। अपीलार्थी द्वारा रिकार्ड का अवलोकन किया गया एवं वांछित सूचना उपलब्ध करादी गई है। अपीलार्थी ने दिनांक 03-04-2018 को इस आशय का पत्र दिया है कि उसे सम्पूर्ण सूचना प्राप्त हो चुकी है कोई सूचना प्राप्त करना शेष नहीं है।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 05-04-2018 प्रस्तुत किया है जिसके साथ पत्र दिनांक 03-04-2018 की प्रति संलग्न की गई है।

7. अपीलार्थी द्वारा कोई अन्यथा प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की गई है। अभिलेखानुसार सूचना प्रदत्त है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त